संख्या–आरएफ. 165/नौ–9–2014–02आर.एफ./14टी0सी0

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,सिद्धार्थ नगर,जनपद–सिद्धार्थ नगर/
नवाबगंज,जनपद–गोण्डा।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनाँक 24 फरवरी, 2014

विषय– वित्तीय वर्ष 2013–14 में 'नया सवेरा नगर विकास योजना' से ब्याज रहित ऋण की स्वीकृति।

महोदय,

उपयुर्क्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नगर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की माँग पर नया सवेरा नगर विकास योजना से व्याज रहित ऋण के रुप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। इस सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में **नया सवेरा नगर विकास योजना में** प्राविधानित धनराशि से संलग्न सूँची में अंकित विवरण के अनुसार 02 नगर पालिका परिषदों द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के सापेक्ष कुल धनराशि **₹ 1,59,00,000/–(₹ एक करोड़ उन्सठ लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रुप में **₹ 79,50,000/–(₹ उन्यासी लाख पचास हजार मात्र**) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1)– यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।

(2)– स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा, उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि को किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

(3) योजनान्तर्गत वित्त विभाग के शासनादेश दिनॉक 28.03.13 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4)– स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो हेतु निविदाओं की स्वीकृति एवं बिलों के भुगतान, आदि का कार्य निकाय के संबंधित सक्षम अधिकारी सुनिश्चित करायेंगे तथा धनराशि के सदुपयोग एवं शासन को ऋण की अदायगी के लिए व्यक्तिगत/संस्थागत रूप से उत्तरदायी होगें।

(5)– प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(6)– धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्यो पर ही किया जायेगा। किसी अन्य योजना/कार्यक्रम पर बिना शासन की अनुमति के व्यय नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(7)– स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

(8)– स्वीकृत कार्यो में से जिन कार्यो का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिए स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यो हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनापरान्त किया जायेगा।

(9)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यो को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व संबंधित निकाय का होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा।

(10)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियम "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात् **"नया सवेरा नगर विकास योजना"** का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा।

(11)– उपर्युक्त अवस्थापना विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे है। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात् तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम किश्त के रुप में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 70 प्रतिशत धनराशि का उपभोग कर लिये जाने का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि संबंधित नागर निकाय को अवमुक्त की जायेगी।

(12)– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(13)– वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि वे उसकी सूचना पूर्ण विवरण शासन/वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत करते हुये यथाविधिक स्वीकृति प्राप्त करें।

(14)– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग एक वर्ष की अवधि में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण–पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्यवाही संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक अनुदान की संख्या–37 के लेखाशीर्षक–"6215–जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज–आयोजनागत–02–मल–जल तथा सफाई–192–नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता–04–नया सवेरा नगर विकास योजना–30–निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा ।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–8–1008–दस/14, दिनांक 24 फरवरी,2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव

संख्या–आरएफ. 165(1)/नौ–9–2014 तद्‌दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
3. कोषाधिकारी, जनपद–सिद्धार्थ नगर/गोण्डा।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
7. संबन्धित नगर पालिका अध्यक्ष, उ0प्र0।
8. वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8
9. गार्ड फाइल ।
10 कम्प्यूटर सेल को वेबसाइड़ पर लोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–आरएफ 165/नौ–9–14–02आरएफ/14,टी0सी0–1,दिनांक. 24 फरवरी, 2014 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रूपये में)

क.	निकाय का नाम/ जनपद	मद/कार्य का नाम	संशोधित प्राक्कलित धनराशि	प्राक्कलित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थनगर	1.मो0 आर्य नगर में रविन्द्र त्रिपाठी के मकान से मौलाना के बर्फ फैक्ट्री तक नाली एवं ढक्कन का निर्माण कार्य। 2.मो0 आजाद नगर में मूसे ठेकेदार के घर से सोना लाज तक नाली एवं ढक्कन का निर्माण कार्य	24.54 34.94		
		योग	59.48	59.00	29.50
2	नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, गोण्डा	1.हड्डीपुरवा में विमलता प्रकाश के घर से रामधर के घर तक सी0सी0इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य। 2.मोहल्ला मुट्ठीगंज चाईटोला व पडाव में विभिन्न स्थानों पर इण्टरलाकिंग लगाने का कार्य। 3.मोहल्ला कहरान वार्ड नं0 15 में वारिस अली के मकान से नसीम दर्जी के मकान तक सी.सी इण्टरलाकिंग का कार्य। 4.मोहल्ला चाईटोला वार्ड नं0 03 में राम बहादुर के मकान से झिन्नन यादव के घर तक सी.सी. इण्टरलाकिंग एवं पटरी पर पेवर ब्लाक लगाने का कार्य।	33.70 39.50 12.54 22.54		
		योग	108.28	100.00	50.00
		महायोग		159.00	79.50

(रूपये उन्यासी लाख पचास हजार मात्र)

([illegible])
संयुक्त सचिव
नगर विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

spuo-2